न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 130/2017 अपील

1. सीमा देवी पत्नी दुर्गालाल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
2. कंचनदेवी पत्नी रमेशचन्द्र सोनी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर नामान्तरकरण सं0 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015

उपस्थित –
श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.07.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण सं0 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 30.06.2014 को रामसुख, बेजानाथ पिता भूरा जाट निवासी भीलडी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा आराजी सं. 833, 834 किता 2 रकबा 8.15 बीघा भूमि क्रय की, जिसका पंजीयन पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 3 क्रम सं. 531 पर पंजीबद्ध किया गया। विक्रयपत्र पश्चात् ही विक्रेता द्वारा अपीलार्थीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से ही अपीलार्थीगण भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 12.12.2015 को उक्त दस्तावेज पर पंजीयक के हस्ताक्षर नही होने का अंकन कर दिनांक 03.06.2015 के अंकन के आधार पर नामान्तरकरण खारिज कर दिया, जबकि उप पंजीयक द्वारा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण फैसल करने से पूर्व

नामान्तरकरण की विधिक प्रकियाओं की पालना नही की व कब्जे की जांच किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी 12.11.2017 को लोन वास्ते जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुयी। वक्त जानकारी अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। फिर भी समय को कण्डोन कराये जाने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.12.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 30.06.2014 को रामसुख, बेजानाथ पिता भूरा जाट निवासी भीलडी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा आराजी सं. 833, 834 किता 2 रकबा 8.15 बीघा भूमि क्रय की, जिसका पंजीयन पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 3 क्रम सं. 531 पर पंजीबद्ध किया गया। विक्रयपत्र पश्चात् ही विक्रेता द्वारा अपीलार्थीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से ही अपीलार्थीगण भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 12.12.2015 को उक्त दस्तावेज पर पंजीयक के हस्ताक्षर नही होने का अंकन कर दिनांक 03.06.2015 के अंकन के आधार पर नामान्तरकरण खारिज कर दिया, जबकि उप पंजीयक द्वारा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण फैसल करने से पूर्व नामान्तरकरण की विधिक प्रकियाओं की पालना नही की व कब्जे की जांच किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण सं. 249 राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं होने से खारिज किया गया है। जो नियमानुसार सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम गुलाबपुरा तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 833 एवं 834 में से 1/4 हक हिस्सा भूमि रामसुख बेजानाथ के पिता भूरा जाट सा. भीलडी द्वारा श्रीमती कंचनदेवी पत्नी रमेशचन्द्र सोनी तथा श्रीमती सीमादेवी पत्नी दुर्गालाल भाट निवासी पण्डेर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2014 से विक्रय किये जाने से पटवारी हल्का टीटोडी ने नामान्तरकरण सं. 249 दिनांक 02.06.2015 को दायर किया, जिस पर गिरदावर हल्का बावडी ने दिनांक 03.06.2015 को जांच रिपोर्ट में विक्रय पत्र दस्तावेज पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नहीं होना अंकित किया हैं। तहसीलदार जहाजपुर ने विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण सं. 249 दिनांक 12.12.2015 को खारिज कर दिया।

अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2014 की छाया प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें उप पंजीयक पण्डेर के हस्ताक्षर अंकित हैं एवं दस्तावेज पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 में पृष्ठ संख्या 126 कम संख्या 2014000531 पर पंजीबद्ध है। नामान्तरकरण सं. 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015 अपास्त कर तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले नामान्तरकरण सं0 249 निर्णय दिनांक 12.12.2015 के कम में आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं. 249 पर तहसीलदार जहाजपुर के आदेश दिनांक 12.12.2015 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार जहाजपुर को नामान्तरकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से मूल विक्रय पत्र तलब कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही करे।

नामान्तरकरण सं. 249 दिनांक 12.12.2015 को कार्यरत गिरदावर हल्का बावडी एवं तहसीलदार जहाजपुर द्वारा मुताबिक पंजीयन दस्तावेज पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर होते हुये एवं दस्तावेज पंजीबद्ध होते हुये भी नामान्तरकरण

संख्या 249 पर विपरीत टिप्पणी अंकित करके नामान्तरकरण खारिज कर विधि विरूद्ध कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) 16/17 के तहत नामान्तरकरण संख्या 249 पर आदेश दिनांक 12.12.2015 को कार्यरत तहसीलदार एवं गिरदावर के विरूद्व सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्थापना अनुभाग एवं भू अभिलेख अनुभाग जिला कार्यालय भीलवाडा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)